न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर मध्य प्रदेश

R 2017 - III/13

प्र. क्र. / निगरानी/2012-13

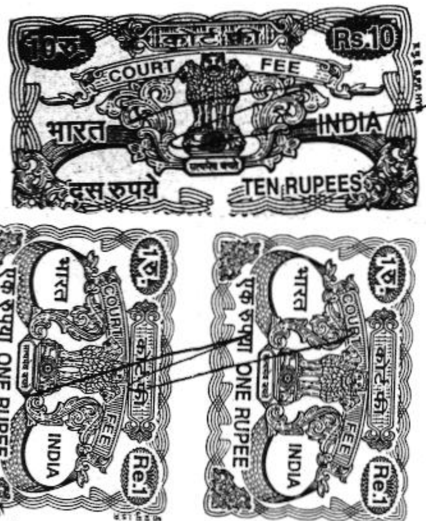

श्री ....
द्वारा आज दि. 24-5-13 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

किशन सिंह पुत्र श्री नथन सिंह जाति यादव निवासी छिकरी (फोत)

वारिस :-

1. गीता बाई पत्नि किशन सिंह
2. गायत्री बाई पुत्री किशन सिंह
3. रविन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह
4. प्रवेश पुत्री किशन सिंह
5. सौरभ पुत्र किशन सिंह

समस्त जाति यादव निवासीजन छिकरी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भ.रा.सं. 1959 के तहत न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्र. क्र. 196 स्वमेव निगरानी 2006-07 आदेश दिनांक 30/01/2013 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में सविनय सादर निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है-

1. यह कि न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर का आदेश विधि विधानानुसार न होने कारण निरस्ती योग्य है।
2. यह कि न्यायालय नायब तहसीलदार के प्र. क्र. 217/अ-19/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 04/02/1994 विधि अनुसार नायब तहसीदार द्वारा आदेश पारित किया गया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2017–तीन / 2013 जिला–अशोकनगर

किशन सिंह (मृतक) वारिसान– गीता बाई आदि विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 196 / स्व.निगरानी / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05–11–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	